कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली(छ0ग0)

क्रमांक/न.हो.ए./2024/2 मुंगेली दिनांक 5/11/24

प्रति

जिला जनसंपर्क अधिकारी,
कलेक्टर कार्यालय,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषयः– प्रेस विज्ञप्ति जारी करने बाबत्।

संदर्भः– जिला स्तरिय टीम का निरिक्षण दिनांक 05.11.2024

––00––

//प्रेस विज्ञप्ति//

कलेक्टर महोदय जिला मुंगेली के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में 7 वर्षीय बालक के मौत के मामले मे संज्ञान लेते हुये, छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 अंतर्गत दिनांक 05.11.2024 को अनुविभागीय अधिकारी रा0, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, विकासखण्ड लोरमी, जिला नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट, एवं खंड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड लोरमी की संयुक्त टीम के द्वारा लोरमी स्थित बुद्धकेयर हास्पिटल लोरमी का औचक निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि तहसील लोरमी अंतर्गत मोहबंधा गांव के आश्रित ग्राम बंधी निवासी धनंजय गोंड उम्र 7 वर्ष को मस्तिष्क ज्वर से पिडित होने के कारण बुद्धकेयर हास्पिटल लोरमी मे भर्ती कराया गया था। जहा विषय विशेषज्ञ चिकित्सक नही होने के कारण ईलाज के अभाव मे मौत हो गई थी। निरिक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिना अनुमति के हास्पिटल मे मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 अंतर्गत हास्पिटल संचालित करने हेतु अनुमति प्रदाय नही किया गया है। उसके बाद भी हास्पिटल संचालक द्वारा हास्पिटल का संचालन किया जा रहा था। जो कि नर्सिंग होम एक्ट नियम के विपरित है।

छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 अंतर्गत बनाये गये नियमों का उल्लघंन करने के कारण आगामी आदेश तक ओ0पी0डी0 आई0पी0डी0 सेवा बंद करते हुये हास्पिटल को सीलबंद किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./न.हो.ए./2024/3 मुंगेली दिनांक 5/11/24

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट– जिला मुंगेली, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मुंगेली (छ.ग.)